मध्यप्रदेश

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

भारत सरकार की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये

नवीन आवेदन पत्र

यहां नवीन छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी की पासपोर्ट साईज का फोटो जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, चस्पा किया जावे ।

भाग :– (अ)

(प्रविष्टियाँ विद्यार्थी द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जायें)

1. विद्यार्थी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) — श्री/श्रीमती/कुमारी .....
2. अनुसूचित जाति /उप जाति (जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जावे) — .....
3. धर्म — .....
4. मूल निवास का पता — ग्राम/मोहल्ला .....
   स्थान .....
   जिला .....
   राज्य .....
5. पिता/पति का पूरा नाम — .....
6. पालक का नाम, पता तथा विद्यार्थी से सम्बन्ध — नाम .....
   पता .....
   .....
   सम्बन्ध (रिश्तेदारी).....
7. पिता/पालक का व्यवसाय — .....
8. परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे) — .....
9. विद्यार्थी सेवारत है तो उसका विवरण
   (अ) नियुक्तिकर्त्ता का नाम — .....
   (ब) पद जिस पर कार्यरत हैं — .....
   (स) वेतन भत्ते — .....

10. मेट्रिक या समतुल्य परीक्षा से लेकर समस्त परीक्षाओं का ब्यौरा (प्रमाण–पत्रों/ अंक सूचियों की अभिप्रमाणित छाया प्रतिया संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क के खाते में दर्शाया जाना चाहिए :–

परीक्षा का नाम (1)	संस्था /विश्वविद्यालय या मण्डल का नाम (2)	जिस वर्ष में परीक्षा दी (3)	परीक्षा उत्तीर्ण की अथवा नहीं यदि उत्तीर्ण की तो श्रेणी और अंक जो प्राप्त हुए उनका प्रतिशत (4)	यदि लगातार शैक्षणिक कार्य में व्यवधान है तो उसका विवरण (5)

11. पूर्व छात्रवृत्तियों का विवरण हॉ/नहीं । यदि हाँ, तो निम्न विवरण देवें :–

(1) छात्रवृत्ति योजना का नाम .....

.....

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति मिली थी व वर्ष .....

.....

(3) उस संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी

.....

12. अध्ययनरत् संस्था का नाम .....

(1) वह पाठ्यक्रम जिसके लिए विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति चाही गई है .....

(2) कक्षा में प्रवेश की तिथि .....

13. क्या आप संस्था के छात्रावास में या संस्था द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं ? विवरण दें। (छात्रावास अधीक्षक का प्रमाण–पत्र) साथ लगायें

हाँ /नहीं । छात्रावास का नाम .....

पता .....

.....

प्रवेश पाने की तिथि .....

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने योजना के नियम पढ़ लिये हैं तथा इस आवेदन पत्र में हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय हमारे लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा और हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की छात्रवृत्ति की रकम हमसे मांगी जाने पर वासप करेंगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला अधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से जो उचित समझे वसूल कर सकेगा ।

स्थान : .....

दिनांक :.....

(1) विद्यार्थी के हस्ताक्षर .....

(2) पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा निशानी दाहिना व बायां अंगूठा

.....

भाग – (ब)
संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाये

1. पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है। .....
2. क्या विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क भुगतान करने के लिये छूट दी गई है? हाँ / नहीं .....

विद्यार्थी को चालू वर्ष में तारीख ..... से तारीख ..... के लिए इस संस्था को रुपये ..... अनिवार्य फीस (छात्रावास का भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों को छोड़) का भुगतान करना होगा, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:–

विद्यार्थी की दी जाने वाली फीसों का विवरण (1)	दर रुपये (2)	कुल देय रकम रुपये (3)	कुल देय रकम पैसे (4)
शिक्षण फीस			
परीक्षा फीस			
खेल कूद फीस			
पुस्तकालय फीस			
चिकित्सा फीस			
अन्य फीस (स्पष्ट किया जावे)			
	योग		

यदि विद्यार्थी छात्रावास में रहता है तो उसका विवरण :–

प्रमाणित किया जाता है :–

(1) विद्यार्थी द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी सही है .....

यह संस्था ..... विश्वविद्यालय /मण्डल से सम्बद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य शासन ..... द्वारा मान्यता प्राप्त है, विद्यार्थी इस संस्था में .... पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है जिसमें प्रवेश पाने के लिए न्यूनत योग्यता ..... पास है ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में

क्रमांक .....

पद नाम .....

स्थान .....

पता .....

तारीख .....

संस्था की मुहर

प्रपत्र (२)

आय संबंधी घोषणा-पत्रक

(घोषणा-पत्र विद्यार्थी के माता/पिता /पति/पालक द्वारा दिया जाये)

चूँकि, मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित .....श्री/कुमारी/श्रीमती.....

जो कि .....का विद्यार्थी है, मैंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

मैं श्री .....आत्मज.....

घोषणा करता हूं कि मेरी विगत वर्ष 31 मार्च, 200 तक की कुल आमदनी सब स्त्रोतों से रुपये.....थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा धारित संपत्ति का ब्यौरा इसके साथ संलग्न पत्र में दिये अनुसार हैं और मैंने अपने द्वारा भुगतान किये विभिन्न करों, उपकरों और भू-राजस्व की रकम का सही रूप से उल्लेख किया है। प्रस्तुत किये गये तथ्यों और आंकड़ों के लिये मैं अपने आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता हूं।

मैं यह भी वचन देता हूं कि इस घोषणा में दिये गये ब्यौरे असत्य पाये गये तो उक्त .....छात्रवृत्ति की संपूर्ण रकम भारत के राष्ट्रपति को लौटा दूंगा तथा घोषणा की असत्यता संबंधी शासन का निर्णय मेरे लिये अंतिम और बंधनकारी होगा।

स्थान.....

दिनांक.....

.....

हस्ताक्षर पिता /पति/पालक

(पिता/माता/पति (विवाहित छात्राओं के लिये) के जीवित न होने पर ही पालक द्वारा घोषणा-पत्र भरा जायेगा)

अनुसूची

1. धारित भूमि की सीमा
   - (1) क्षेत्रफल.....
   - (2) ग्राम.....
   - (3) (भू-मापन क्रमांक सर्वे नम्बर).....
   - (4) भू-राजस्व निर्धारण.....
2. धारित संपत्ति (मकान, दुकान, भवन, स्थल आदि)
   - (1) मकान क्रमांक.....
   - (2) मार्ग.....
   - (3) ग्राम/नगर शहर.....
   - (4) स्थल का क्षेत्रफल.....
   - (5) प्राप्त होने वाला भाड़ा यदि कोई हो.....
   - (6) भुगतान किया गया गृह भाड़ा.....
   - (7) दुकान का पता.....
   - (8) धंधा (दुकान का).....
   - (9) बिक्री कर/आयकर जो भुगतान किया गया.....
   - (10) लायसेंस क्रमांक.....

3. लिया गया वेतन (यदि माता/पिता दोनों सेवा में हैं तो पृथक्-पृथक् जानकारी दी जाए.

(1) नियोजन का नाम.....

(2) वह कार्यालय इकाई जिसमें कार्य कर रहा हो.....

.....

(3) पता.....

.....

(4) मासिक उपलब्धियां, वेतन+महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, सिटी अलाउन्स अन्य अलाउन्स मिलाकर.....

(5) अन्य सुविधायें जैसे - मकान भत्ता, निःशुल्क मकान तथा अन्य सुविधायें.....

4. अन्य

(1) अन्य धन्धों, साधनों से होने वाली / आमदनी/अंशकालीन कार्यों से आमदनी.....

(2) मजदूरी के रूप में ली गई रकम .....

(3) कोई अन्य कार्य.....

.....

स्थान.....

हस्ताक्षर पिता / पति /पालक.....

दिनांक.....

आय की घोषणा के सत्यापन के लिये सुझाई गई कार्य प्रणाली

अधिकांशतः आय की घोषणा का सत्यापन कार्यालयीन अभिलेखों को देखकर किया जायेगा उदाहरणार्थ, शासकीय कर्मचारियों या शासकीय सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मामले में कार्य का सत्यापन नियोजकों से आय पूछकर किया जा सकता है। कृषकों के मामले में आय राजस्व अधिकारी से जानी जा सकती है, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के मामले में आय, आयकर, प्राधिकारियों के जरिये जानी जा सकती है, दुकानदारों के मामले में सत्यापन विक्रय कर आंकड़ों को देखकर किया जा सकता है। विक्रय कर आंकड़ों से दुकानदारों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है जिसके अनुसार खाद्यान्न के फुटकर विक्रेताओं को 15 से 20 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं को 10 से 15 प्रतिशत लाभ सामान्य माना जा सकता है ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनके अपने मकान हैं, उनका वार्षिक भाड़ा मूल्य गृह द्वारा सरलता से जाना जा सकता है जो कि भाड़ा मूल्य के आधार पर ही नियंत किया जाता है। भूमिहीन श्रमिकों, छोटे भूमिधारियों तथा छोटे-छोटे भू-खण्डों के काश्तकारों या दोनों के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के मामलों में आय का मोटा अनुमान, स्वामी/काश्तकार या दोनों के रूप में उनके द्वारा धारित भूमि के आकार तथा भूमि की सीमा से और / या भू-राजस्व अभिलेखों की सहायता से लगाया जा सकता है।